

# लय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

नं० 80 / 2025

तारीख रजू :- 27/05/2025

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

आई0डी0 नम्बर 2025/224

उनवान

देवीलाल जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—सायलान-02

बनाम

पुत्र बनैसिंह जाति निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—गैरसायल

दिनांक

फर्द अहकाम

05/2025

यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री शांति स्वरूप शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उप खण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक..... 28/10/25

28/25

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज  
दिलाने पर श्री सायलान एवं उनके अधिवक्ता  
उप- नहीं हुए। अतः मु. नं. 80/2025  
उनवान बेटी बनाम रामावतार रामनिा पत्र  
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अरम बैरबी अरम  
ठाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल मुमार होद बाद तम्मिल नं. से कम  
नी जादद मूल राते के साथ शामिल मिसल  
रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।